

कामदेविण  
समिति प्राचीनिक लिपा संरिष्ट  
कामदेव पदेश्वा लक्खनवा ।

प्रकाशन दिनांक: १५ अगस्त २०२० / प्रकाशन संख्या: २०२० / १८७३

視覺圖庫 | 版權號: 15-9-2020

—२०५—

इसका भवित्वोंपर कठमींगी दिला परिवर्तन एवं दिनी/फार्मों के सम्बन्धित अंक इनिटियल एवं डिस्ट्रिक्ट एवं विज्ञप्ति द्वारा ऐसा है। 2020-21 हेतु शिल्पियों सहीय कठमींगी दिला परिवर्तन एवं आगुनीत्य प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रारंभिक दिला परिवर्तन 2020 लखनऊ में समझौता/समझौता दिला परिवर्तन किए जाने की दिनांक 14-६-२०२० को अपने प्रारंभिक दिला परिवर्तन लखनऊ समझौता तो कलकत्ता में परिवर्तन कठमींगी ने दिनांक समझौता है। बैठक में नामकृत दिन 2020-21 हेतु अधिकृत नहु समझौते द्वारा समझौता/कूट संस्थानित समझौते को समझौते दिला/एकलयोग्य/प्रथा सम्मान द्वारा अधिकृत दिन भी 2020-21 हेतु समझौता प्रदान किए जाने का निर्णय दिला गया।

उक्त काल समय में अस्थायी रूप से नव-जू ने विद्युत विभाग द्वारा प्राप्त उक्त जलीय विद्युत विभाग का विभाग बनाया गया। अस्थायी रूप से नव-जू ने विद्युत विभाग का विभाग बनाया गया।

“गिरी देव में स्थापित डिप्लोमा इय इंजीन पाठ्यक्रम समर्पित करने वाली विषयाएँ सहीर तरीकी से संस्कार हैं, जो प्रारंभिक विषय परिषद् उम्मेद उम्मेद अलगाव से एवं संभव हैं जो एकाइटीसीएटीएफ् द्वारा सत्र 2020-21 के दृष्टि क्षेत्रम् अनुमोदन विभाग द्वारा दिया गया है। इन संस्कारों में एकाइटीसीएटीएफ् द्वारा प्रदान किए गए बायोटेक्नोलॉजी अप्रूपात एवं जीव जीवन विषय पाठ्यक्रम/प्रोजेक्ट शायद जो सत्र 2020-21 के दृष्टि क्षेत्र से सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने पर समिति द्वारा विभाग-सिमिति विषय दिया गया एवं एकाइटीसीएटीएफ् प्राप्त सत्र 2020-21 के दृष्टि क्षेत्र अनुमोदन विभाग के बायोक्रम में परिषद् से सत्र 2020-21 के दृष्टि क्षेत्रम् विभाग प्रदान विषय दिया गया।”

दिनांक 14-06-2020 को जारी जनसंख्या रिपोर्ट पर्याप्त गत वर्षों के अनुभव में लिख दिए गए प्रायोगिक लिया गया था, तो 90 लाखों के द्वारा साल 2020-21 के जनसंख्या रिपोर्ट की अधीन प्राकृतिक एवं वासनी अविभावक घटनाएँ के जनसंख्या रिपोर्ट द्वारा की जाती हैं।

प्रक्रिया नं.	प्रक्रिया का नाम	प्रक्रिया का नाम	प्रौद्योगिकीय सेवा/उत्पादन का वर्ष 2020-21 में अनुमति दिए गए राशि	परिवर्तन राशि वर्ष 2020-21 में अनुमति दिए गए राशि
1. 4671	विकास इन्डस्ट्रीज ऑफ ट्रीनिंगसर्ट एन्ड ट्रेनिंगसेवा, मुमली गांव, लाल-2 ज़िला दारा, लो-मुख्यमान, गोरखपूर।	विकास इन्डस्ट्रीज विकास इन्डस्ट्रीज इन्डस्ट्रीज मालवाला एवं कट्टोड इन्डिस्ट्रीज इलो विकास इन्डस्ट्रीज मालवाला एवं विकास इन्डस्ट्रीज।	60 60 60 60 60 60 60	60 60 60 60 60 60 60

四庫全書

- ✓ संसद न्यूज़लैंड मीटिंग की बड़ी शर्त का पूछता थालन होती।
  - ✓ संसद समाज प्रदेश ग्रामिण विभाग अस्ट्रेलिया के 1952 तक ग्रामिण विभाग अस्ट्रेलिया के 1952 तक ग्रामिण विभाग की 2010 तक अपनी ग्रामिण विभाग एवं जारी वा अनुचालन होती। तथा युवक विभाग मासित हाल ग्रामिण विभाग द्वारा उनकी इनीष्ठा पाठ्यकाने हुए हैं 30,150.00/- - प्रतीक्षा, दो वर्षों कालिका पाठ्यकाने हुए हैं 40-45,000.00/- - प्रतीक्षा 15 एक तथा दो वर्षों पाठ्यकाने (दो वर्षों पाठ्यकाने पाठ्यकाने के अधिकतम) हुए 40-22,500.00 परिवारों द्वारा हाल विभाग द्वारा दिया जाता है। अपरोक्ष के ग्रामिण विभाग एवं जारी विभागों ने युवक की समाचार ने समय-समय पर यात्राओं द्वारा यात्राओं के प्रभावी हाल और यात्राओं

कार्यपाली विधा जारी करने वाले अधिकारी द्वारा कोई विवादित समिति द्वारा यदि वर्ष 2020-21 के दूसरे वीजा का मुख्यालयाण्ड विधा जारी हो तो उसकी द्वारा नियमित ढंग से लाग दर्दी।



卷之三

पुस्तक— प्राचीन/प्रतिष्ठान वास्तविका / 2020 / 1872-3141

तारीख: १५-०९-२०२०

प्रतिलिपि—उमातामातृ / निदेशक, विकास इस्टर्नदट् और इंडोनीशियाई एफ़ टेक्नोलॉजी, बुद्धी प्रकृता में०-२ समय  
टीका, पो०—इतिहास, पारंपरागत।

१०० निर्मला लिंग  
संगीत

三

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਮਿਥੁਨ ਕੌਰ

卷之三

三國志・蜀漢志・魏志・吳志の歴史

西漢書

卷之三

लेखक अपनी वृत्तियों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपनी जनवरी कानूनी संसदीय अधिकारी का पालन-पोषण कर्त्ता भी रखा है। इन दोनों कानूनी संसदीय सेवाओं की अनुदानप्रद विधान सभा के सदस्यों का एक विशेष विभाग विकास विभाग के द्वारा दिया जाता है। इन दोनों कानूनी संसदीय सेवाओं की विशेष विभाग के सदस्यों का एक विशेष विभाग विकास विभाग के द्वारा दिया जाता है।

कामगारों का भौतिकीय भवित्व के लिए गर्व नियन्त्रण के अनुसार 2 लिंग क्रमांक और दर्शकों का विकास करेगा, 30 अप्रैल तक तक दृष्टि को 2021-22 हेतु नियन्त्रण वर्ती के लालीं सदाचारम दर्श उठाकर अपेक्षित रूप से बढ़ाव देने वाली है।

WITI ST 2018 THE RIN, AGRA-UNIVERSITY INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, JUNGLE KHANNA, 2, HATHNA TOLE, PONI GULABIA, ROBANPUR, AGRA, U.P., INDIA.

क्रमांक	वास्तविक संग्रह	टोकार्फर्मिंग/ विनियोगी २०२१-२२ क्रांति क्रांति क्रांति	वास्तविक संग्रह २०२१-२२ क्रांति क्रांति
1	CIVIL ENGINEERING	50	50
2	ELECTRICAL ENGINEERING	50	50
3	MECHANICAL ENGINEERING	50	50
4	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	50	50
5	CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL)	50	50

卷之三



प्राचीन भाषा संक्षेप

三

प्रकाशन कीमत रुपये 200/- 135/- 10/-

卷之三

卷之三

VIKAS INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, JUNGLE KHEDA RD, 2, HATHWA TOLA, POST GULABIA, GOARSHAH

— 1 —



**कार्यालय,**  
**सचिव, प्राविधिक शिक्षा परिषद्,**  
**उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या:- प्राशिप/परिषद् सम्बद्धता/2022/7817

लखनऊ: दिनांक: 30/08/2022

**:कार्यालय जाप:-**

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली कार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2022-23 हेतु डिपोजी स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरोक्त प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 30/08/2022 को परिषद् कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मर्दों पर विचार करते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

**संस्था का कोड एवं नाम : 4471-VIKAS INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY**

क्र०स०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा परिषद् द्वारा सत्र 2022-23	
		सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश	हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
	CIVIL ENGINEERING		
2	(ENVIRONMENT & POLLUTION CONTROL)	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60

**सम्बद्धता हेतु शर्तें**

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः प्राप्त करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् एवं 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद् नियमावली 1992, नियमावली-2000, सेमेस्टर नियमावली-2016 तथा समय-समय-पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त

छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। फीस निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ0प्र0, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन निस्स्तु किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई गाद दायर किया जाता है तथा दायर गाद के संबंध में मा न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कायांलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने टेलसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रीकार्ड के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ते कि संस्था में प्रस्तावित/ संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समझ उपलब्ध कराये गये अधिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तल्काल संस्था को सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औचिक स्थलीय निरीक्षण के द्वारान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगभाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए0आई0सी0टी0ई0/पी0सी0आई0/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

  
(एफ0आर0 खान)


सचिव

पृष्ठ0- प्रशिक्ष/परिषद सम्बद्धता/2022/7818-8455

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक VIKAS INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY



(एफ०आर० खान)

सचिव